अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/288

फारूख अली पुत्र स्व0 फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान फकीर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
2. सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 103/दावा/2013

फारूख अली पुत्र स्व0 फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान फकीर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
2. सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.1983 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.10.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमराज मीणा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 21.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/288

फारूख अली पुत्र स्व0 फतेह मोहम्मद जाति मुसलमान फकीर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
2. सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 16.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 806 रकबा 5.97 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 771 की भूमि सिवायचक स्थित है । खसरा नम्बर 806 की 5.97 हैक्टर में से 1.40 हैक्टर व खसरा नम्बर 771 की भूमि में से 1.60 हैक्टर कुल 3.20 हैक्टर भूमि पर वादी का पिछले 30–35 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । वादी ने उक्त भूमि को काफी खर्चा करके काबिज काश्त बनाया है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि है जिस पर वादी का पिछले 30–35 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं । उक्त भूमि कभी भी वन विभाग की नहीं रही है । प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा

उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें और न ही उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी पिछले 30–35 वर्षो से काबिज काश्त है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना ही वादी का वाद खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.05.2017 को अपीलान्ट अपने वकील साहब के पास तारीख पेशी के लिए पूछने गया तब हुई जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 31.05.2017 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 01.06.2017 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट 40 वर्षों से काबिज काश्त है । अपीलान्ट ने काफी मेहनत मजदूरी करके व धन खर्च करके आराजी को समतल करके पक्का घर व कुआ बनाकर सिंचाई का साधान करके काबिल काश्त किया है । राजस्व रिकॉर्ड में आराजी सिवायचक दर्ज थी । अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा होने के बावजूद इस आराजी को रेस्पोडेन्ट कम 02 को आवंटित कर दिया गया । धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये और अपीलान्ट के द्वारा तावान की राशि गत 30 वर्षों से जमा करवायी जा रही है । आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है । अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 21.06.2016 को दावा वादी खारिज किया है उस दिन न तो अपीलान्ट स्वयं उपस्थित था और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित थे । इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक जिसे विधिवत रूप से रेस्पोडेन्ट को आवंटित किया गया है । सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील

अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में खसरा परिवर्तनशील संवत् 2060 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । इसके साथ ही नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न जिसमें नया खाता संख्या 380 की खसरा नम्बर 806 रकबा 0.48 हैक्टर परमानन्द, सुरेश एवं अन्य के खाते में दर्ज है । दूसरी नकल जमाबन्दी खाता संख्या 902 के अनुसार खसरा नम्बर 771 की 8.00 हैक्टर आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है । वादी के द्वारा खसरा नम्बर 806 की रकबा 1.40 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 771 की रकबा 1.60 हैक्टर आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा की प्रार्थना की है ।

12. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 902 के अनुसार खसरा नम्बर 771 की आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है और खसरा नम्बर 806 की नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 की पेश की गई है जिसमें 0.48 हैक्टर भूमि परमानन्द, सुरेश व अन्य के खाते में दर्ज है । इसके अलावा अन्य रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है । अपीलान्ट वादी के द्वारा कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया है । पेश किये गये नकल जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 771 की भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज है और खसरा नम्बर 806 की भूमि परमानन्द, सुरेश व अन्य के खाते में दर्ज है । वादी के द्वारा परमानन्द एवं अन्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है । कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस बाबत् माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 771 की आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 21.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा